



Mata Balasundry

PRIVATE ITI NAHAN

Prospectus

Trade : ELECTRICIAN

Affiliated to NCVT, DGE&T, Ministry of Labour & Employment (Govt. of India),
& Approved by Deptt. of Technical Education (Govt. of H.P.)

Ground Floor, M.C. Complex, Near Delhi Gate
Nahan Distt. Sirmour (H.P.) Mobile No.: 094180-96280



INTRODUCTION

Mata Balasundry Pvt. ITI Nahan is managed by Mata Balasundry Institute of Education Society Nahan. (Regd. Under S.R. Act XXI of 1860). Which Manages through a local and nearby Managing Committee Composed of eminent educationists Public spirited social workers and experienced educational administrators.

This Regd. Society established this ITI with the special objective of educating students without any distinction of caste, creed, religion or colour.

The ultimate aim of education is not only to enhance knowledge but behaviour, manners and the development of overall personality. Today's student are tomorrows future of the nation by becoming professional. The vision is to prepare technically and morally strong citizens who in future become precious assets of nation. Secondly, Mata Balasundry Institute is also alive to the situation of unemployment among the educated youth. It feels its duty to make them educated, technically strong and capable of achieving an honorable job in Govt./Pvt. Sector/ Prestigious organization etc. Thus to save themselves from the economic crisis of the present age, which is the root cause of social backwardness as well as social evils. Mata Balasundry Institute is fulfilling those aims and objectives in establishing this ITI to produce highly employable youth. The objective of Mata Balasundry Institute is to impart affordable relevant, skill based & remunerative technical education to the masses of H.P. Mata Balasundry Pvt. ITI is affiliated to NCVT, DGE&T, Govt. of India vide letter no DGET-6/8/4/2011-TC (New Pvt.) & approved by Deptt. of Technical Education, Sunder Nagar (Govt. of Himachal Pradesh).

- The rules of Govt./ NCVT are silent in the prospectus information brochure.
- This prospectus / Information Brochure is of information nature and not as a legal document.
- ITI will not be responsible for any type of mistake.





MESSAGE



Dear Students

I Extend a heartily welcome to your decision to seek admission in Mata Balasundry Pvt. ITI, Nahan. I hope that yours stay during your classes/ Training will be academically rewarding and professionally meaningful as you will be provided excellent teaching and guidance by a team of dedicated and experienced faculty members. The philosophy of this Institute is to spread Education to more and more people without any caste and creed.

Now let me congratulate you on your choice of career to meet the great demand for talented Manpower/ Technocrat/ Professionals in their respected fields. I am confident that by joining this Institute you will be provided adequate and useful study materials and utilize your precious time in building your career to the satisfaction of your guardians and you will bring Name, Fame, Glory to the Institute. Whenever you require any help either personal or professional. Please do not hesitate to approach me.

We have proud on our Ex-students who has been selected in Govt. Job as a drawing teacher; P.T.I., Electrician, Pump Operator. I am confident and hopefully that more and more student will join our job oriented/ Professional courses and will avail the opportunity by selection in Govt. Jobs.

Wishing you a great success and bright future.

*Arun Bhatia
Chairman*

ADMISSION SCHEDULE

All the Candidates will have to appear before the admission selection committee along with all original Certificates / Documents for admission. The Candidates will have to appear in person in the office of the Principal, Mata Balasundry Pvt. ITI Nahar

Counseling schedule for admission:

1) **16/07/2013 TO 18/07/2013**

All Reserved Categories and its sub reserved categories

2) **18/07/2013 TO 21/07/2013**

All un-reserved Categories and its sub Categories

3) **22/07/2013 TO**

All Reserved & un-Reserved categories & its sub-categories

Second Counseling to Admission:- **17/08/2013 TO 29/08/2013** All Categories

Final Counseling for Admission:- **31/08/2013**

All Categories

Note :

1. Candidate are likely to overstay in case the admission is not finalized on the same day.
2. Candidates not appearing for admission on the date mentioned above shall have not claim for admission. No correspondence in this regard will be entertained.
3. No TA/DA will be given to the candidates coming for admission/interview.
4. No separate interview letter will be sent to the candidates coming for admission/interview.
5. Candidates selected for admission will have to deposit dues/fee at the time of his/her selection failing which his/her selection will stand cancelled out rightly and next candidates as per merit will be considered for admission.
6. Fee will be charged as per the Norms of the Govt.
7. Prospectus will be available after 1st June 2011 at the Counter of the ITI
8. Regulars Classes will be started w.e.f. **08/08/2013**
9. Contact Nos. 9416096280

Sd/-
Principal

Mata Balasundry Pvt. ITI
Nahar

अति आवश्यक सूचना

Important Note :

Ragging, inside/outside the institution is an offence. As per the Himachal Pradesh Educational Institution (Prohibition of Ragging) Ordinance-2009, every offence under this ordinance shall be cognizable, non-bailable and compoundable with the permission of court. Any student found indulged in ragging activities directly/indirectly, strict action will be taken against him/her as per law.

1. प्रत्याषी आवेदन पत्र भरने से पहले विवरण पुस्तिका का अच्छी तरह अध्ययन कर ले।
2. अचूक मरा हुआ या बिना सही प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।
3. निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार जिस तिथि को प्रत्याषी को प्रवेश हेतु आना है यदि वह निर्धारित तिथि एवं समय पर उस दिन संबंधित कार्यालय में मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होकर वर्ग एवं योग्यता अनुसार तयनित होने पर मुल्क इत्यादि उसी समय जमा करवाकर प्रवेश प्राप्त न कर सके तो छात्र / छात्रा का प्रवेश उसी समय रद्द कर दिया जाएगा और उसको स्थान पर उसी समय तयानुसार योग्यता सूची के आधार पर अगले छात्र / छात्रा को दाखिले कर लिया जायेगा।
4. आरक्षित वर्ग के प्रमाण-पत्र सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा दिये गये हों।
5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि विवरण पुस्तिका में दी गई है। संस्थान में सत्र 2011 की कक्षाएं दिनांक 09.08.2011 पूर्णतया शुरू हो जाएंगी।

नोट : (i) औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नियमानुसार प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित न्यूनतम वैश्विक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर पूर्णतया योग्यतानुसार सम्पन्न होगा।

(ii) प्रवेश पूर्णतया योग्यता के आधार पर होगा और हिमाचल प्रदेश के मूल नियमों, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के हिमाचल में कार्यरत कर्मचारियों के बर्तों के लिए ही उपलब्ध है।

कोई भी कार्य आरम्भ करते समय अपने सद्गुरुदेव एवं ईश्वर का ध्यान अवश्य करें।



ADMISSION PROCEDURE (प्रवेश प्रक्रिया)

आवेदन-पत्र देने का विधान (Procedure for applying)

माता बालासुन्दरी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नजदीक दिल्ली गेट, नाहन, जिला सिरमौर (हि. प्र.) में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशीयों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इस संस्थान द्वारा शुरू किया गया कोर्स इलेक्ट्रिशियन जो कि NCVT, DGE&T (Govt. of India) Vide letter No. DGET - 6/8/4/2011 - TC (New Pvt.) से मान्यता (Affiliated) प्राप्त है। एवं Approved by Deptt. of Technical Education Sunder Nagar (Govt of H.P.)

इन व्यवसायों में प्रवेश पूर्णता मरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा। आवेदन पत्र प्रत्याशी द्वारा स्वयं अपने हथ द्वारा भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र पूर्णता भरा होना चाहिए और सत्यापित (प्रमाणित) प्रतियों सहित माता बालासुन्दरी प्राइवेट आई टी आई के प्रधानाचार्य को प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले जमा कराना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां साथ संलग्न करनी होगी, खाते वे प्रमाण पत्र की फोटोस्टैट प्रतियां ही क्यों न हों:

1. जनसंख्यिकी के प्रमाण हेतु बोर्ड/स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु यूनिवर्सिटी/बोर्ड द्वारा दिया/दिए गए प्रमाण पत्र।
3. हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा हिमाचल प्रदेश/भारत सरकार के हिमाचल में कार्यरत कार्यभारियों के बन्धु होने का प्रमाण पत्र।

4. जिन्य आरक्षित वर्ग/उपवर्ग के अन्तर्गत अर्थात (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े क्षेत्र के निवासी इत्यादि) प्रवेश हेतु आवेदन

पत्र दिया गया है, उस वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जो संबंधित इलाकों के सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया हो।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित प्रमाण पत्र 2 वर्ष से अधिक पुराना न हो।
6. स्त्री प्रमाण पत्र जो कि उस संस्थान के प्रधानाचार्य महोदय द्वारा दिया गया हो जहां से कि प्रत्याशी ने अंतिम परीक्षा पास की हो अथवा राजपत्रित कर्मचारी

द्वारा दिया गया हो तथा 6 महीनों से अधिक अवधि से पुराना न हो।

7. प्रत्याशी को आवेदन पत्र में त्रुटि सूचना देनी चाहिए। यदि कोई भी त्रुटि सूचना किसी भी समय गलत/झूठी अथवा छिपाई हुई पाई गई तो विद्यार्थी को केन्द्र

से निकाला जा सकता है। यदि कोई भी प्रत्याशी प्रवेश पाने हेतु गलत ढंग से अपना नाम या अपने प्रमाण पत्रों को मूल अथवा सत्यापित प्रतियों में किसी भी स्टेज

पर परिवर्तन अथवा (Tempering) किए पकड़ा गया तो उनका तल्लक्षण रद्द कर दिया जाएगा

और इसके अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

8. यदि किसी प्रत्याशी ने गलत, झूठे प्रमाण पत्र पेश करके (ITI) में दाखिला लिया हो तो इस तथ्य का पता लगने पर संस्थान के प्रधानाचार्य को यह पूर्ण अधिकार होगा कि उस छात्र/छात्रा के दाखिले को तल्लक्षण रद्द कर दें तथा उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करें।

9. यदि कोई प्रशिक्षणकर्ता प्रशिक्षण के दौरान किसी भी पुलिस केस में (Involve) पाया गया तो उस संस्थान के प्रधानाचार्य को यह पूर्ण अधिकार है कि सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी का प्रवेश तल्लक्षण रद्द कर दें तथा प्रशिक्षणार्थी को पूर्ण प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10. प्रवेश के लिए इच्छुक प्रत्याशीयों को प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों सहित हाजिर होना होगा और जहां एवं योग्यता के अनुसार यदि उसे दाखिला मिले तो उसे उसी समय सम्पूर्ण शुल्क इत्यादि देने होंगे। अन्यथा वर्गानुसार उस प्रत्याशी के स्थान पर दाखिलता योग्यतानुसार अगले प्रत्याशी को दे दिया जाएगा। तत्पश्चात् उस प्रत्याशी का प्रवेश पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। प्रत्याशी को दाखिले के लिए कोई अलग से पत्र बगैर नहीं भेजा जाएगा। अनुसूचित वर्गों सहित प्रवेश हेतु आने वाले किसी भी प्रत्याशी को कोई टोए/डीए नहीं मिलेगा।

11. दाखिले के लिए चुने हुए प्रत्याशीयों को निश्चित तिथि को संस्थान में अपनी-अपनी कक्षा में जाना होगा। यदि कोई विद्यार्थी बिना सूचना दिए पहले पाँच कार्यकारी दिवसों तक कक्षा में अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जाएगा कि उसे प्रवेश स्वीकार नहीं है तथा इस प्रकार रिक्त होने वाली सीट द्वितीय और अंतिम काउंसिलिंग में योग्यतानुसार दूसरा प्रशिक्षणार्थी दाखिल किया जा सकता है।

12. संस्थान में दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थीयों को दो महीने के अन्दर-अन्दर तकनीकी शिक्षा बोर्ड में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

आत्म विश्वास सफलता का मुख्य विश्वास है

Courses Name/Duration/Min. Eligibility

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1.	इलैक्ट्रीशियन	2 वर्ष	मैट्रिक या बोर्ड/यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता वैधिका या बोर्ड/यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में पास तथा इसी परीक्षा में गणित तथा विज्ञान में पास होना अनिवार्य है।

शुल्क और दूसरे व्यय (Fee & Other Charges)

शुल्क और दूसरे व्यय सरकार और N.C.V.T. द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार लिए जायेंगे।

विषय पाठ्यक्रम (Course of Study)

सभी उपलब्ध व्यवसायों के पाठ्यक्रम N.C.V.T. द्वारा निर्धारित किए गये हैं।

उपस्थिति एवं अवकाश (Attendance and Leave)

इन पाठ्यक्रमों हेतु उपस्थिति एवं सम्बन्धित नियम N.C.V.T. द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

परीक्षा नियम (Examination Rule)

इन पाठ्यक्रमों हेतु N.C.V.T. द्वारा परीक्षा नियम निर्धारित किए जाते हैं।

स्वास्थ्य परीक्षा (Medical Test)

दाखिले के लिए चुने गए प्रत्याशीयों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लेते समय सरकारी चिकित्सा अधिकारी जो कि राज पत्रित श्रेणी- 2

से निम्न पदवी का ना हो, द्वारा दिया गया शारीरिक योग्यता का प्रमाणपत्र पेश करना होगा। इस संस्थान में Mentaly Rtarded प्रत्याशियों को दाखिला नहीं दिया जाएगा।

नोट :

1. चिकित्सा प्रमाण पत्र को साथ नहीं भेजना होता है बल्कि इसे प्रवेश के समय ही प्रस्तुत करना होगा।
2. योग्यता क्रम में आने वाले ऐसे प्रत्याशियों जिनके कि केवल एक आँख में ही ठीक एवं पर्याप्त दृष्टि हो तो उनको केवल उन ही व्यवसायों के प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु consider किया जायेगा, जिसमें कि एक आँख की दृष्टि प्रशिक्षण प्राप्त करने में पर्याप्त हो या प्रशिक्षण उपरान्त राजगार प्राप्त करने में बाधा न हो। ऐसे प्रत्याशियों को योग्यतानुसार संबंधित व्यवसाय हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखना अनिवार्य होगा।

अभिरूचि परीक्षा (Aptitude Test)

प्रवेश के बाद दो माह के अन्दर प्रत्येक विद्यार्थी का अभिरूचि (Aptitude Test) टेस्ट होगा। उक्त परीक्षा में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी असफल हुआ तो उसे संस्थान से निकाला जा सकता है।

इन्टरनल (आंतरिक) असेसमेंट (Internal Assessment)

प्रशिक्षण के दौरान समय-समय पर परीक्षाएँ ली जाएंगी तथा प्रत्येक तिमाही के अन्त में ली गई परीक्षा का परिणाम इन्टरनल असेसमेंट में गण्य होगा। परीक्षार्थी का इन्टरनल असेसमेंट में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। दो वर्ष के प्रशिक्षण अवधि वाले व्यवसायों में प्रथम वर्ष को सफल पर प्राथमिक परीक्षा सरकारी नियम अनुसार ली जाएगी और उसमें निर्धारित मानदण्ड में कम अंक प्राप्त करने पर प्रशिक्षणार्थी को दूसरे वर्ष का परीक्षा प्राप्त करने से रोका जा सकता है अन्तिम परीक्षा का परिणाम बताते समय प्राथमिक परीक्षा और इन्टरनल असेसमेंट के अंकों को भी consider किया जायेगा।

सामान्य नियम एवं विनियम (General Rules & Regulations)

1. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीयों को केंद्र में व्यवहारिक नियमों का पालन करना होगा नाकि वह उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें जो कि उसे प्रदान की गई हैं। यह नियम केवल मात्र प्रशिक्षणार्थीयों एवं उसके सहपाठियों की भलाई और उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये हैं। इनको बिना सूचना दिये समय-समय पर बदला जा सकता है प्रशिक्षणार्थीयों को चाहिये कि वे प्रतिदिन को सूचनाओं की जानकारी प्राप्त किया करें नियमों की अज्ञानता के कारण उनका उल्लंघन करना माफ नहीं होगा।
2. प्रशिक्षणार्थीयों से आशा की जाती है कि वे सबसे सद्ब्यवहार करें और अपने सभी सहपाठियों के साथ सम्मान पूर्वक रहें संस्थान के सभी कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार है कि वे विद्यार्थीयों के गलत व्यवहार को रोके चाहें वे संस्थान के अन्दर हों या बाहर हों और ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थीयों को उनकी आज्ञा माननी होगी।
3. ऊँची आवाज में बोलना और बिना उद्देश्य के पुमना, यह बात दूसरों की नाराजगी तथा गड़बड़ी पैदा करने के नाते वर्जित होगा

श्रेष्ठ आदतों में सर्वप्रमुख है समयबद्धता।



Mata Balasundry Private ITI Nahan

सभी दिये गये नियमों को या उनसे अलग नियमों को बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित किया जा सकता है तथा इसमें सरकार द्वारा निर्देशित नियमों को ही माना जायेगा।

पुस्तकालय के नियम (Library Rules)

1. संस्थान की लाइब्रेरी में पाठ्यक्रम से संबंधित एवं अन्य विषयों पर बहुत पुस्तकें उपलब्ध हैं। विद्यार्थी एक पुस्तक को अधिक से अधिक पाँच दिनों के लिये ले सकता है। पुस्तक यद्यपि किसी और विद्यार्थी द्वारा भांग न करने पर फिर से अगले तीन दिनों के लिए लाइब्रेरियन द्वारा जारी की जाती है।
2. समय पर पुस्तकों को न लौटने पर पाँच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जायेगा।
3. अगर विद्यार्थी किसी पुस्तक को खराब या उसका दुरुपयोग या उस पर कुछ लिखता है या पुस्तक विद्यार्थी द्वारा गुम कर दी जाती है तो विद्यार्थी द्वारा नई पुस्तक लाकर देनी होगी या उसकी राशि जमा करवानी होगी या वह धरोहर राशि में से काट ली जायेगी।

शुल्क तथा दूसरे व्यय (Fee & Other Charges) : प्रवेश के लिये चुने गये प्रत्याशियों को निम्नलिखित शुल्क तथा दूसरे व्यय देने होंगे।

1. इलेक्ट्रीशियन	प्रवेश शुल्क	8000/- रुपये प्रति वर्ष
	शैक्षणिक शुल्क	1000/- रुपये प्रति माह

इसके अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, अथवा निदेशालय तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश (हिमाचल सरकार) द्वारा निर्धारित नियमानुसार होगा।

ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट फंड, लाइब्रेरी फंड, जीवन बीम योजना फंड (प्रतिवर्ष) व अन्य कोई फंड सरकार, बोर्ड द्वारा निर्देशित नियमानुसार ही लिया जायेगा।

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय 500/- रुपये धरोहर के रूप में संस्थान में जमा करवाने होंगे जो उनके प्रशिक्षण की समाप्ति पर अथवा प्रशिक्षण छोड़ देने पर वापिस कर दिये जायेंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी मशीन या अन्य उपकरणों की टूट-फूट का जिम्मेवार होगा। यदि उसके द्वारा कोई उपकरण गुम हो जाए तो उस विद्यार्थी द्वारा दी गई 500/- रुपये की राशि से उपकरण के मूल्य की राशि काट ली जायेगी और यदि नुकसान धरोहर राशि से अधिक है तो अधिक राशि को जमा करवाना होगा।

विद्यार्थियों को संस्थान छोड़ने के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर-2 अपनी सभी प्रतिभूति (Securities) राशियाँ वापिस लेनी होंगी। इस समय के दौरान वापिस न ली जाने वाली प्रतिभूति जब्त हो जायेगी और विद्यार्थियों को उस हालत में निश्चित अवधि के बाद उस प्रतिभूति पर कोई अधिकार नहीं होगा और इस प्रकार रही अदल राशि कल्याण के लिये खर्च की जायेगी।

सभी शुल्क तय की गई समय अवधि के अन्दर ही देने होंगे। दो वर्षीय अवधि पाठ्यक्रम हेतु दूसरे वर्ष के शुल्कों को भुगतान वार्षिक आधार पर दी गई समय अवधि में ही जमा करने होंगे। यदि दी गई अवधि के बाद प्रशिक्षणार्थी के किसी प्रकार के शुल्क इत्यादि देने शेष रह जायें तो उसे 5/- रुपये प्रति दिवस की दर से जितने दिन शुल्क अदल रहा हो, की दर से अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यदि प्रशिक्षण का शुल्क 15 दिन से अधिक बकाया हो तो उसे संस्थान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उसका नाम संस्थान के उपस्थिति रजिस्टर से काट दिया जायेगा।

परीक्षा (Examination) प्रत्येक पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा एन सी सी टी /एस सी बी टी परीक्षा के लिये हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क इत्यादि देने होंगे।

सभी शुल्क किसी भी समय सरकार द्वारा बिना सूचना के परिवर्तित हो सकते हैं। तथा दिशा-निर्देश किये गये शुल्क व सभी नियम ही मान्य होंगे।

पुस्तकालय धरोहर (Library Security): प्रत्येक विद्यार्थी को रुपये 500/- पुस्तकालय धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी जोकि प्रशिक्षण की समाप्ति पर अथवा प्रशिक्षण छोड़ देने पर वापिस कर दिये जायेंगे। जोध में प्रशिक्षण छोड़ने पर धरोहर राशि वापिस नहीं की जायेगी। अगर विद्यार्थी किसी पुस्तक को क्षति पहुँचाता है या खराब करता है या पुस्तक को गुम करता है तो पुस्तक की कीमत उसकी धरोहर राशि में से काट ली जायेगी।

नोट : ऊपर दिए गए सभी शुल्क सरकार द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित किये जा सकते हैं। इसमें सरकार/विभाग द्वारा निर्देशित नियमों और निर्धारित शुल्कों को ही माना जायेगा।

समय गतिवान है, अतः इसके एक-एक क्षण का सदुपयोग करें

परिशिष्ट-१ (APPENDIX-I)

हिमाचल प्रदेश में हिमाचल/भारत सरकार (अथवा राश्वी से) के कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (केवल हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु यह प्रमाण-पत्र केवल तभी पूरा माना जाएगा यदि इसके साथ निम्न नोट-2 के अनुरूप संबंधित SDM/Executive Magistrate महोदय द्वारा attested affidavit साथ लगा हो अन्यथा यह प्रमाण-पत्र अथुरा माना जायेगा और प्रत्याशी का प्रवेश आवेदन-पत्र भी अथुरा हो गिना जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... (पिता/माता का नाम)
जो कि श्री/कुमारी..... का/की पिता/माता है, वह हिमाचल प्रदेश सरकार /भारत सरकार के..... विभाग का /को कर्मचारी है यह..... (विभाग का नाम) विधि..... से इस विभाग में कार्यरत है तथा..... कार्यालय में स्थान पर कार्यरत है। (स्थान का नाम)

कार्यालय की मोहर

दिनांक.....
विभागाध्यक्ष की मोहर तथा राश्वी सहित हस्ताक्षर

- नोट: 1. हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार के कर्मचारी जिन जिले में नियुक्त हो उसके अंतर्गत ही अपने बच्चे पर आवेदन पत्र दे सकते हैं। तथा उन्हें उन जिले का निवासी हो यात्रा आदेश पत्र या केवल एक जिले के अंतर्गत ही अपने बच्चे के उक्त आवेदन-पत्र दे सकते हैं अर्थात या तो अपने संबंधित विभागीय जिले में जहाँ के यह मूल निवासी हैं। अन्यथा जिले में जहाँ कि वह कार्यरत हैं।
2. यदि हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार का कर्मचारी अपने बच्चे का आवेदन-पत्र अपने नियुक्ति वाले स्थान के जिले के अंतर्गत दे रहा हो (अपने संबंधित विभागीय जिले के अंतर्गत नहीं कहा तो भी जिले अलग-अलग हो) तो उसे नियुक्ति वाले स्थान से संबंधित जिले के SDM/Executive Magistrate महोदय से Attested कागजात या Affidavit देना होगा कि वह अपने बच्चे का प्रवेश आवेदन-पत्र अपने नियुक्ति वाले जिले के अंतर्गत दे रहा है, अपने संबंधित विभागीय जिले के अंतर्गत नहीं और वह अपने बच्चे का केवल एक जिले के अंतर्गत आवेदन दे रहा है। इस Affidavit के बिना हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के बच्चे पर आवेदन-पत्र अथुरा गिना जायेगा।

परिशिष्ट-२ (APPENDIX-II)

पिछड़े क्षेत्र (Backward Area) से संबंधित प्रत्याशियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... जोकि श्री/कुमारी..... का पिता है, गांव..... पंचायत..... डाकखाना..... ग्राम..... तहसील..... जिला..... हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री..... पंचायत..... तहसील..... जिला..... के पास की है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र में स्थित है। स्थान.....

कार्यालय की मोहर

दिनांक..... (संबंधित क्षेत्र एसडीएम/कार्य मैजिस्ट्रेट महोदय के कार्यालय की मोहर हस्ताक्षर सहित हस्ताक्षर)

- नोट: 1. यह प्रमाण-पत्र संबंधित इलाके के एमडीएम/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया होगा। जहाँ कि प्रत्याशी का पिता/माता/पति संबंधित इलाके में मूल निवासी है वह प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य के संबंधित इलाके में प्रमाणित किया जा सकता है जो कि इतिहास/जाति।
2. यदि यह मूल रूप से प्रत्याशी द्वारा अधिग्रहण की है, पिछड़े क्षेत्र में न पढ़ कर उनके किन्तुलन जगह परने क्षेत्र में स्थित हो तो इस बात में ध्यान-रख में कि प्रमाण-पत्र पर पिता अपने पिता का नाम (Immediate adjoining to the notified backward area) के साथ लगा है, जो कि संबंधित इलाके के एक ही एक जवत कार्याकारी मैजिस्ट्रेट महोदय द्वारा-प्रमाणित किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र

संबंधित इलाके के सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र साधारणतः जारी किये गये निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्नित करने होंगे। जब वर्गों से संबंधित प्रमाण पत्रों हेतु निर्धारित प्रपत्र संलग्नित है, जिसके अनुरूप सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के साथ संलग्नित करने होंगे अन्यथा आवेदन पत्र अथुरा माना जाएगा।

1. हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र
2. अनुसूचित जातियों / जन-जातियों से संबंधित प्रमाण-पत्र
3. पिछड़ी जातियों से संबंधित प्रमाण-पत्र

शरीर का आनन्द स्वास्थ्य में है, मन का आनन्द ज्ञान में है।

परिशिष्ट-3 (APPENDIX III)

स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण-पत्र (Medical Certificate)

नोट : यह प्रमाण-पत्र केवल टारिखले के समय प्रस्तुत करना होगा

नाम: _____ (नाम तथा पदको)
 निवास: _____
 निवासका फोटो मुझ द्वारा साक्ष्यपत्र (जन्ममेजमक) कारके पत्र

द्वारा प्रमाणित है कि मैंने जो चिकित्सा _____ और उसमें कोई ऐसी शारीरिक कमी नहीं है जो कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश पाने हेतु

- निम्नलिखित बातें हैं - मेरे दुर्बल होने सूचित करता है कि :-
1. ऊंचाई _____ मीटर है।
 2. शरीर का _____ किलोग्राम है।
 3. दायाँ हाथ का माप (फैलाकर) _____ (बिना फैलाकर) _____ सेंटीमीटर है।
 4. दायाँ अंगुली _____ प्रतीत होती है।
 5. दृष्टिकोण सामान्य रूपसे है _____ नहीं लगाता/लगाती है _____
 6. (i) दायाँ दृष्टि _____ निकट दृष्टि _____ दूर दृष्टि _____
 7. (ii) बायाँ दृष्टि _____ निकट दृष्टि _____ दूर दृष्टि _____
 8. दायाँ दृष्टि निर्धारित स्तर के अनुसार है।
 9. दायाँ हाथ तथा दायाँ दूबू है।
 10. दायाँ हाथ सुदृ _____ है।
 11. दायाँ कोई ऐसी बिमारी या शारीरिक कमी या दिमागी अस्थिरता नहीं है जो कि उसकी इस समय या निकट भविष्य में औद्योगिक केंद्र अथवा फौलड इयूटी के प्रयोग करने के संभावना रखती हो तथा न ही संसर्गजन्य अथवा संक्रामक रोग से पीड़ित है।
 12. दायाँ के निदान _____ अतः प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश योग्य है।
 13. बिमारी के अंगुटे का निदान _____
 14. बिमारी का इलाज _____



स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर, पदवी तथा
 इस्पताल की मोहर

दिनांक _____
 स्थान _____

यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले स्वास्थ्य अधिकारी सहोदय द्वारा सत्यापित (जन्ममेजमक) होना चाहिए।

- नोट
1. यह प्रमाण-पत्र केवल स्वास्थ्य अधिकारी में अनुप्रमाणित होना चाहिए, जो कि द्वितीय श्रेणी राजपत्रित स्तर में काम का न हो।
 2. स्वास्थ्य अधिकारी को अपने इलाका एवं मोहर फोटो के उपर लगानी चाहिए।
 3. यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि प्रत्याशी अपने पास रखे और टारिखले के समय प्रस्तुत करें।
 4. इसका संरक्षण पर्याप्त सावधानी के साथ करना चाहिए और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में टारिखला नहीं दिया जाएगा।
 5. दायाँ हाथ का माप करने के लिए दायाँ हाथ एक अंगुली को दृष्टि प्रशिक्षण प्राप्त करने में पर्याप्त हो तथा प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार प्राप्त करने में बाधक न हो। ऐसे प्रत्याशी को का-संयोजक अनुप्रस्थानक निदेशक कार्यालय को टारिखले द्वारा इस विवरणिका (सर्वेचमबजने) में निर्धारित न्यूनतम ही क्षणिक योग्यता रखना अनिवार्य होगा। संसर्ग रोग अथवा संक्रामक रोगों के संदिग्ध प्रत्याशी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 6. हिमाचल प्रदेश का निदेशक कार्यालय एवं सीधे निदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या 5-7/88 वेल-ए-एच, दिनांक 3.3.1989 में निर्धारित निर्देशिकाओं, निदेशक कार्यालय एवं सीधे निदेशक कार्यालय कोर्ट द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा तथा इसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनादि-अवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

दृष्टि में आप अपना चेहرا देख सकते हैं, चरित्र नहीं।



For more details please contact

Mata Balasundry **PRIVATE ITI NAHAN**

Add. Ground Floor, M.C.Complex, Near Delhi Gate
Nahan Distt. Sirmour (H.P.), Mobile No. : 094180-96280
E-mail : arunbhatiag.3239@gmail.com